न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 66/2017 (उदयपुर आर्डर)

1. श्री लक्ष्मणसिंह राजपूत पिता श्री गिरवर सिंह राजपूत निवासी ग्राम प्रेमनगर रून्देला तहसील सलुम्बर जिला उदयपुर (राज0)
2. श्री हमीरसिंह जी राजपूत पिता श्री गिरवर सिंह राजपूत निवासी ग्राम प्रेमनगर रून्देला तहसील सलुम्बर जिला उदयपुर (राज0)
3. श्री दुल्हेसिंह राजपूत पिता श्री गिरवर सिह राजपूत निवासी ग्राम प्रेमनगर रून्देला तहसील सलुम्बर जिला उदयपुर (राज0)
4. श्री रामसिंह राजपूत पिता श्री गिरीवर सिंह राजपूत निवासी ग्राम प्रेमनगर रून्देला तहसील सलुम्बर जिला उदयपुर (राज0)
5. श्री जवानसिंह राजपूत पिता श्री हमीर सिंह राजपूत निवासी ग्राम प्रेमनगर रून्देला तहसील सलुम्बर जिला उदयपुर (राज0)
6. श्री रणजीतसिंह राजपूत पिता श्री दुजानसिंह राजपूत निवासी ग्राम प्रेमनगर रून्देला तहसील सलुम्बर जिला उदयपुर (राज0)
7. श्री फतहसिंह राजपूत पिता श्री ज्ञानसिंह राजपूत निवासी ग्राम प्रेमनगर रून्देला तहसील सलुम्बर जिला उदयपुर (राज0)

.... अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्री राजस्थान राज्य
2. श्री बहादूर सिंह पिता श्री गोपालसिंह राजपूत निवासी रून्देला तहसील सलुम्बर लि उदयपुर (राज0)
3. श्रीमती भम्मू कुंवर राजपूत पत्नी श्री बहादूरसिंह राजपूत निवासी रून्देला तहसील सलुम्बर लि उदयपुर (राज0)

.... रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश अतिरिक्त जिला कलक्टर उदयपुर दिनांक 24–10–2017 प्रकरण संख्या 01/2017(प्रा.पत्र विविध)

————

उपस्थित :–1– सु.श्री प्रमोदनी बक्षी अभिभाषक अपीलान्ट्स

2– श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक रेस्पो. संख्या–1

3– श्री संजय बोहरा अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2, 3

––––––/––––––

आदेश **दिनांक 23–10–2018**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा विपक्षी रेस्पोन्डेन्ट के विरूद्ध नियम–14 (4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि भूमि आवंटन) नियम–1970 के तहत आवेदन पेश किया। उक्त आवेदन को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 2–3–2017 को प्रार्थी की अदम हाजरी, अदम पैरवी में उक्त आवेदन खारिज कर दिया। आवेदन खारजी दिनांक 2–3–2017 के बाज दायरी आवेदन जो कि अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 10–4–2017 के बाज दायरी आवेदन जो कि अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 10–4–2017 को पेश हुआ, उसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 24–10–2017 को खारिज कर दिया। जिससे रूष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 15–11–2017 को प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 सरकार की और से औपचारिक पक्षकार राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुये। वहीं रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 3 की और से अधिवक्ता श्री संजय बोहरा उपस्थित हुये।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मेमों में लिखित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटिपूर्ण होना बताते हुए खारिज करने की प्रार्थना की। वहीं अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट के प्रमुख अपील उजर यह है कि अधिनस्थ न्यायालय ने बाज दायरी कारणों को नजर अन्दाज कर निर्णय पारित किया है। वकील अपीलान्ट के स्वास्थ्य संबंधित विभिन्न कारणों की सभी को जानकारी है। पेशी डायरी में त्रुटिपूर्ण अंकन भी सुस्पष्ट है।

हमारे द्वारा समायतशुदा बहस व पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट प्रार्थी का आवेदन दिनांक 2–3–2017 को अदम हाजरी, अदम पैरवी खारिज हुआ है, जिसके बाजदायरी आवेदन पुनः अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 10–4–2017 को पेश

कर दिया गया है। उक्त बाज दायरी आवेदन करीब 9–10 दिन विलम्ब से प्रस्तुत हुआ है। जिसके लिए अधिवक्ता द्वारा सकारण शपथ पत्र दिया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सिर्फ 8–9 दिन विलम्ब के लिए गुणावगुण आधार पर निर्णय के स्थान पर चिकित्सकीय प्रमाण पत्र के अभाव में बाज दायरी आवेदन खारिज कर दिया है। जबकि 9 दिन का विलम्ब अत्यल्प है। वकील अपीलान्ट द्वारा न्यायिक नजीर R B J 2008(15) पेज 306 प्रस्तुत की है, जो अधिवक्ता के त्रुटिपूर्ण पेशी नोट कर लेने के कारण पक्षकार को दण्डित नहीं किये जाने के न्यायिक सिद्धान्त पर है। यह नजीर इस प्रकरण से सुसंगत है।

वकील रेस्पोन्डेन्ट द्वारा निम्नानुसार न्यायिक नजीरे प्रस्तुत की है:–

1. 2014 (2) Civil Times (Raj.) Page 677
2. R R D 2001 Page 161
3. R R T 2014 (2) Page 1035
4. A I R 2000 Page 226

उक्त नजीरे क्रमांक 1 से 3 आदेश–9, नियम–13 जाब्ता दीवानी से संबंधित है तथा चतुर्थ नजीर आदेश–41, नियम–17 व 19 से संबंधित है, जो इस प्रकरण से चारो नजीरे सुसंगत नहीं है।

उपरोक्तानुसार न्यायहित में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का बाज दायरी आवेदन पर आदेश दिनांक 24–10–2017 को रूपये 500/–कोस्ट पर अपास्त कर मूल प्रार्थना पत्र आवंटन निरस्तीकरण आवेदन को नंबर पर लिए जाने का आदेश पारित करते है। अधिनस्थ न्यायालय में प्रथम पेशी को ही अपीलान्ट द्वारा कोस्ट की अदायगी रेस्पोन्डेन्ट को की जायेगी तथा इसी शर्त पर अधिनस्थ न्यायालय में मूल आवंटन निरस्तीकरण आवेदन पर अग्रिम कार्यवाही की जाकर 3 माह में निर्णय पारित किया जायेगा। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 17–12–2018 को उपस्थित होवें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 23–10–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर